# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
## (पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

**रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 27/2021**

**प्रार्थी**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आबूरोड़ (वर्तमान में तहसीलदार, देलदर)

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

(1) गंगाधर पुत्र श्री नागैया, जाति– ब्राह्मण, निवासी– अहमदाबाद (गुजरात)
(2) महेन्द्र कुमार पुत्र श्री चिमनलाल, जाति– जैन, निवासी– वीसनगर (गुजरात)
(3) योगेशचन्द्र पुत्र नटवरलाल, जाति– ब्राह्मण, निवासी– अहमदाबाद (गुजरात)
(4) राजकुमार के पदमशाली पुत्र किशनभाई, जाति–ब्राह्मण, निवासी–अहमदाबाद(गुज.)
(5) राजेन्द्र पुत्र किशनभाई, जाति– ब्राह्मण, निवासी– बडोदरा (गुजरात)

**"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"**

**उपस्थितिः**

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अप्रार्थीगण की ओर से

**–: निर्णय :–** **दिनांक 28 मार्च, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम मांचगांव, तहसील–आबूरोड़ (वर्तमान तहसील– देलदर) के खसरा संख्या 233 रकबा 0–05 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत 2029 तक के अनुसार किस्म भूमि चाही दोयम, जाव दोयम दर्ज है। उक्त भूमि मिसल बंदोबस्त खतौनी संवत 1999 तक में राजस्थान सरकार के नाम पर दर्ज होकर भूमि की किस्म नाला दर्ज थी। उक्त भूमि वर्तमान खतौनी संवत 2076 में खातेदार गंगाधर पुत्र नागैया, जाति– ब्राह्मण, योगेशचन्द्र पुत्र नटवरलाल, जाति– ब्राह्मण, महेन्द्र पुत्र चिमनलाल, जाति– जैन, राजकुमार के पदमशाली पुत्र किशनभाई व राजेन्द्र पुत्र किशनभाई की खातेदारी खाता संख्या 127 में दर्ज है व कृषि भूमि दर्ज है। उक्त भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही हो सकते है अर्थात् पूर्णतया प्रतिबंधित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में यह आदेश पारित किया गया है कि "All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal." उक्त जलग्रहण क्षेत्र की भूमि का विधि विरुद्ध Conversion हुआ है। अतः उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति किस्म गै. मु. नाला करवाकर राजस्थान सरकार के नाम करवाने की कार्यवाही करावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रस्तुत किये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित प्रारम्भिक आपत्तियों के क्रम में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के विरुद्ध प्रारम्भिक आपत्तियों के लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये।

(3) प्रकरण में दिनांक 26.03.2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मांचगांव, तहसील– आबूरोड़ (वर्तमान तहसील देलदर), जिला– सिरोही के खसरा संख्या 233 रकबा 0–05 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत 2029 तक के अनुसार किस्म भूमि चाही दोयम, जाव दोयम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत 1999 तक राजस्थान सरकार के खाते में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि किस्म नाला दर्ज थी। उक्त भूमि, जमाबन्दी खतौनी संवत 2076 में खातेदार गंगाधर पुत्र नागैया, जाति– ब्राह्मण, योगेशचन्द्र पुत्र नटवरलाल, जाति– ब्राह्मण, महेन्द्र पुत्र चिमनलाल, जाति– जैन, राजकुमार के पदमशाली पुत्र किशनभाई व राजेन्द्र पुत्र किशनभाई (अप्रार्थीगण) की खातेदारी खाता संख्या 127 में दर्ज है एवं कृषि भूमि दर्ज है। उक्त प्रश्नगत भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। उक्त प्रश्नगत भूमि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन अथवा किसी भी रुप में संपरिवर्तन नही किया जा सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, नदी, नाला, नाली, तालाब आदि जलाशयों की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 के द्वारा जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि के आवंटन, नियमन व संपरिवर्तन को विधि विरुद्ध माना है एवं ऐसी जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमियों की राजस्व रेकर्ड में दिनांक 15.8.1947 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिवलि रिट याचिका संख्याः 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29.5.2012 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध माना है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है व न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जो प्रारम्भिक आपत्तियों की गई है, वो आपत्तियां जलग्रहण व जलबहाव क्षेत्र की भूमि के संबंध में लागू नही होती है, क्योंकि ऐसी भूमियों का किसी भी रुप मे आवंटन, नियमन व संपरिवर्तन विधि विरुद्ध है व ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार पूर्णतया प्रतिबन्धित है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण की प्रारम्भिक आपत्तियों को खारिज कर प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर उक्त प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में दर्ज पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्तियों करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड ने ग्राम माँचगाँव, तहसील आबुरोड, जिला सिरोही के खसरा नम्बर 233 रकबा 0–05 बीघा किस्म चाही दोयम, मिसल बंदोबस्त संवत् 2029 में दर्ज अप्रार्थीगण के खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की कृषि भूमि को रद्द कराने बाबत् प्रस्तुत किया है, जबकि विधिक स्थिति यह है कि खातेदारी हको को रेफरेन्स के जरिये चुनौती नही दी जा सकती है। जैसा कि विधिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम KALYAN DUTT 2011-12 (SUPP) RRT 690 में निर्धारित किया है कि CANCELLATION OF 13 ALLOTMENT BY ONE ORDER IS NOT

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय * सिरोही *

LEGALLY JUSTIFIED KHATEDARI CAN NOT BE CHALLENGED BY WAY OF REFERENCE. यह कि प्रार्थी ने उक्त रेफरेन्स का आवेदन, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अतिशय विलम्ब (INORDINATE DELAY) से करीब 33 वर्षों के पश्चात् प्रस्तुत किया है। यद्यपि धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में रेफरेन्स प्रस्तुती हेतु विहित समयावधि निर्धारित नहीं है, फिर भी प्रार्थी को युक्तियुक्त समयाधि एक वर्ष के भीतर उक्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये। प्रार्थी का उक्त रेफरेन्स विधिक रुप से परिपोषणीय नही है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने विधिक दृष्टान्त STATE VS SERIA 2003 (2) RRT 1249 & 2003 RRD PAGE 447 में अभिनिर्धारित किया है। यह कि प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड ने विरुद्ध अप्रार्थीगण रेफरेन्स की कार्यवाही करने का आधार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 को दर्शाया है तथा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.08.1947 की मौका की स्थिति को पुर्नः स्थापित करने की इस्तदुआ चाही है, जबकि प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि (खसरा संख्या 233 रकबा 0.05 बीघा) व उसकी किस्म भूमि के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज 15.08.1947 के दिवस का प्रस्तुत नही किया है। इस कारण से प्रार्थी का उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वर्ष 1947 की 15 अगस्त की स्थिति की दशाने वाला कोई भी अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा न ही प्रार्थी ने प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट नही होता है कि वर्ष 1947 में प्रश्नगत भूमि की क्या स्थिति थी। वर्ष 1947 की स्थिति लाने के लिये संवत 2005 की जमाबंदी में अंकित प्रविष्ठियों या अन्य कोई तत्कालीन राजस्व अधिकार रेकर्ड जिससे स्पष्ट हो सके कि सवंत 2004 व 2005 अर्थात दिनांक 15.08.1947 को आलोच्य भूमि की क्या किस्म थी एवं ऐसे राजस्व रेकर्ड के अभाव में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जैसा कि विधिक दृष्टान्त STATE OF RAJ VS HEERA 2017 (2) RRT 844, 2017 RRD PAGE 173 में यह अभिनिर्धारित किया है कि RAJ. L.R. ACT SEC. 82 REFERENCE - COLLECTOR MAKES THE REFERENCE TO CANCELLED THE KHATEDARS RIGHT'S - RECORD OF SVT 2005 IS NOT AVAILABLE ON RECORDS WHETHER THE LAND WAS RECORDED AS GAIR MUMKIN NALA IN SVT. 2005/YEAR'S 1947 HELD ORDER SET ASIDE & CASE REMENDED TO DECIDE AFRESH. यह कि विधिक दृष्टान्त STATE VS KANI DEVI & ORS 2017(2) RRT 1367 में यह निर्धारित किया है कि RAJ. L.R. ACT. SEC 82 & 16 - WHAT WAS THE POSITION OF LAND IN 1947 SVT 2004 IS NOT ON RECORD REFERENCE IS INCOMPLETE.- HELD REFERENCE IS REJECTED WITH LIBERTY. यह कि प्रार्थी ने यह रेफरेन्स किसी निर्णय, आदेश या कार्यवाही के विरूद्ध करने का अनुरोध नही किया गया है। वर्ष 2029 के खतौनी के वर्तमान खसरा नम्बर 233 का साबिका खसरा संख्या 228 के मिलान क्षेत्रफल/रकबा नम्बर के अनुसार भूमि की किस्म पडत 1 दर्ज है। अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारीगण (PREDECESSOR'S IN TITLE), पुराने साबिका नम्बर 228 खूजरी वाला के काश्तकार थे, जो भूमि 2014 से 2017 की खैवट खतौनी संख्या 15 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की किस्म पडत 1 वर्गीकरण भूमि के रूप में दर्ज है। इस प्रकार, प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सर्वथा विधि विरुद्ध है व संवत 2005 अर्थात् दिनांक 15.08.1947 के राजस्व रेकर्ड की अभाव में कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों के की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मांचगांव, तहसील आबूरोड़ (वर्तमान में तहसील, देलदर) के

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

खसरा नम्बर 233 रकबा 0—05 बीघा किस्म चाही दोयम व जाव दोयम की मिसल बंदोबस्त खतौनी संवत 2029 के अनुसार किस्म भूमि चाही दोयम व जवा दोयम आई हुई है, जो माफिक अभिलेख सही एवं सत्य है। विधि अनुसार खातेदारी के हकों को जरिये रेफरेन्स चुनौती नही दी जा सकती है। प्रश्नगत वर्तमान खसरा नम्बर 233 मौजा मांचगांव, तहसील आबूरोड की उक्त भूमि संबंधित राजस्व अभिलेख में किस्म भूमि नाला दर्ज नही है। अप्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 233 के राजस्थान राज्य के बंदोबस्त विभाग के क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र (फर्द मिलान) ग्राम मांचगांव, तहसील—देलदर, जिला— सिरोही के गत भू माप (साबिका नम्बर) 228 (खजूरी वाले) थे अर्थात् प्रथम भू प्रबन्ध जमाबंदी महकमा बंदोबस्त मौजा मांचगांव, तहसील देलवाडा संवत् 2000 की खाता संख्या 19 की प्रमाणित प्रतिलिपी मय फर्द मिलान की प्रति के वास्ते सबुत पेश है, जिसकी किस्म भूमि प0 1 (पडत 1) दर्ज है। राजस्व खाता संख्या 127 ग्राम मांचगांव, वर्तमान तहसील देलदर के अनुसार प्रश्नगत वर्तमान चालू जमाबंदी के अनुसार बतौर खातेदार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रश्नगत वर्तमान खसरा नम्बर 233 सैकण्ड भूमि बंदोबस्त 2029 से ही खातेदार के नाम नहीं वरन् इसके पूर्व से ही बतौर खातेदार अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारीगण (PREDECESSORS IN TITLE) के नाम दर्ज रही है तथा वर्तमान खातेदारों के नाम वर्ष 1991 में पूर्व खातेदारों से भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय करने पर संबंधित राजस्व अभिलेख में दर्ज है। यानि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय में अवधारित तथ्य अप्रार्थीगण के विरुद्ध लागू नही होते है, क्योंकि प्रार्थी ने 15.08.1947 को प्रश्नगत भूमि वर्तमान अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 233 (गत भू माप के खसरा नम्बर 228 खजूरीनामा) ग्राम मांचगांव, तहसील—आबूरोड़ के संबंध में कोई भू—अभिलेख पेश नहीं किया है। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.8.2004 का भूतलक्षित प्रभाव से लागू नही होता है। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1183, 2017(1) RRT 310, 2005(2) RRT 1183, 2011-12 (Supp.) RRT 690, DNJ (Raj.) 1996 Page 100, अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित निम्न कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैः—

| नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील | जमाबंदी संवत | खाता संख्या | खसरा संख्या | रकबा हेक्टेयर में | किस्म भूमि |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्राम मांचगांव, पटवार हल्का आबूपर्वत तहसील—देलदर | 2076 | 127 | 233 | 0—0632 | चाही 2<br>जाव 2 |

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संबंधित राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत 1999 में प्रश्नगत भूमि की किस्म नाला दर्ज थी, जो भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.8.2004 में यह अभिमत व्यक्त किया है किः—

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

**"All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevent act & rules must be amended accordingly.**

**----In the Government Owend Lakes and other water bodies, the khatedari right of private person in there submergence area should be brought under the ownership of the government.**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.5.2012 में भी जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की पुर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की पूर्व में राजस्व रेकर्ड में किस्म नाला भूमि दर्ज थी, जो जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब, नाडी, नदी, नाला आदि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन एवं नियमन नही हो सकता है तथा ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही, उभय पक्षकारान को यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन होगा कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक प्रश्नगत भूमि के भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही होने दे एवं न ही करे।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्र्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित स्थिति ग्राम मांचगांव, पटवार हल्का आबूपर्वत, तहसील–देलदर, जिला– सिरोही के खाता संख्या 127 खसरा संख्या 233 रकबा 0–0632 हेक्टेयर किस्म चाही 2, जाव 2 के स्थान पर भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज अप्रार्थीगण की प्रविष्ठियां विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त खतौनी संवत् 1999 के अनुरुप राजकीय बिलानाम किस्म नाला दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा सहित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली निर्णय की अतिरिक्त प्रमाणित प्रति सहित प्रेषित की जावे। उभय पक्षकारान प्रश्नगत आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे तथा न ही रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि करे। साथ ही, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार, देलदर को प्रश्नगत आराजी वर्तमान भू अभिलेख में रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि नही करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आगामी आदेश तक नोट अंकित करने हेतु प्रेषित की जावे।

पक्षकारान वास्ते सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आयन्दा दिनांक 05 जून, 2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)